

दूरभाष : 26175246
Phone : 26173775

सं०/NO. 13/1/2015-हं.नि. (हं.अ.)/580

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE
हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), (हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण)

HINDI TEACHING SCHEME (North-Central), (HINDI TYPING/STENOGRAPHY TRAINING)

पूर्वी खंड-7, तल-6,
East Block-7, Level-6,
रामकृष्णपुरम/R.K. Puram,
नई दिल्ली/New Delhi-110066
दिनांक/Dated... 9.4.2015

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)
निदेशक/संयुक्त निदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,
सभी मंत्रालय संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम/राष्ट्रीय बैंक आदि।
नई दिल्ली।

विषय : हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि मध्यमकालिक प्रशिक्षण।

हिंदी आशुलिपि अगस्त, 2015 से दिसम्बर, 2015 तथा हिंदी टंकण-अगस्त से सितम्बर एवं नवम्बर से दिसम्बर 2015

महोदय/महोदया,

केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के विभिन्न कार्यालयों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली में संचालित हिंदी शिक्षण योजना के तीन केन्द्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि मध्यमकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है।

हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण चूंकि वर्ष 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अतः आपसे यह अनुरोध है कि कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी :

हिंदी आशुलिपि

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	3 अगस्त, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 5 माह 3 घंटा प्रतिदिन (पूर्वाह्न)	सत्र के अंतिम दिन	केवल उन्हीं अधिकारी/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्यः सभी वर्गों के अंग्रेजी के आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु। स्वैच्छिक : अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों हेतु*	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राप्त आदि।

.....2/-

30-4-15

A. K. S.

*हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। इन कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण	3 अगस्त, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 2 नवम्बर, 2015 से 30 दिसम्बर, 2015 2 माह 3 घंटे प्रतिदिन	सत्र के अंतिम दिन	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्य: सभी अंग्रेजी टंककों/अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटा एंटी ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें वर्ग "ग" के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कर्मिकों लिए, जो ग्रुप "ग" श्रेणी लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है। स्वैच्छिक : 1. वर्तमान में सहायकों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों तथा हिंदी अनुवादकों के लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि। 2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि।	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीणता आदि।

चयन का आधार

- जिन कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण अथवा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है, उन्हें अन्य मानक, जैसे संवर्ग/सेवा की श्रेणी समान होने पर, उनकी आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यह शर्त प्रवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और सीटों के भरने तक ही लागू रहेगी। यदि इसके बाद भी कक्षा में स्थान रिक्त रहता है तो स्वैच्छिक आधार पर नामित किए गए कर्मचारियों को अधिक आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, वशर्त वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी प्रशिक्षण के आरंभ होने की तिथि से सेवानिवृत्ति को एक वर्ष या उससे कम शेष है, को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि० मि० से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400 रुपए
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600 रुपए
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800 रुपए

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400 रुपए
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600 रुपए
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800 रुपए

परीक्षा शुल्क


- केंद्रीय उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि के लिए 100/- रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- मध्यमकालिक प्रशिक्षण में प्रवेश की तिथि और केंद्रवार समय सारणी अनुलग्नक "क" पर दी गई है ।
- इस प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम अनुलग्नक "ख" में दिए गए प्रपत्र में दिनांक 3 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ होने वाले आशुलिपि प्रशिक्षण (5 माह) के लिए दिनांक 15/7/2015 तक ।
- दिनांक 3 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ होने वाले टंकण प्रशिक्षण (2 माह) के लिए दिनांक 15/7/2015 तक ।
- दिनांक 2 नवम्बर, 2015 से प्रारम्भ होने वाले टंकण प्रशिक्षण (2 माह) के लिए दिनांक 15/10/2015 तक, इस कार्यालय को भिजवा दें ।
- पत्र की एक प्रति संबंधित केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को भी भेजी जाए ।
- इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा । अतः इस पत्र में दिए गए विवरण एवं कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें प्रवेश हेतु स्वयं संबंधित केन्द्र पर निर्धारित तिथि व समय पर संपर्क करना है ।

विशेष

- सभी मंत्रालय, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें ।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।
- अपने कर्मचारियों को हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के मध्यकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पर्याप्त संख्या में नामित करें और मध्यमकालिक प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाएं ।

भवदीय,

(जे० एल० गुप्ता)
उप निदेशक (टं/आ)
Chti 1031

प्रवेश तिथि (मध्यमकालिक प्रशिक्षण)

क्र.सं.	प्रशिक्षण सत्र	प्रवेश तिथि
1.	हिंदी आशुलिपि मध्यमकालिक प्रशिक्षण 03/08/2015 से 31/12/2015 प्रतिदिन 3 घंटे पूर्वाह्न	27/07/2015 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से)
2.	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण मध्यमकालिक प्रशिक्षण सत्र - प्रथम 03/08/2015 से 30/09/2015 प्रतिदिन 3 घंटे अपराह्न	27/07/2015 (अनिवार्य वर्ग के लिए) (अपराह्न 2.00 बजे से) 28/07/2015 (स्वैच्छिक वर्ग के लिए) (अपराह्न 2.00 बजे से) (स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा)
3.	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण मध्यमकालिक प्रशिक्षण सत्र - द्वितीय 02/11/2015 से 30/12/2015 प्रतिदिन 3 घंटे अपराह्न	27/10/2015 (अनिवार्य वर्ग के लिए) (अपराह्न 2.00 बजे से) 28/10/2015 (स्वैच्छिक वर्ग के लिए) (अपराह्न 2.00 बजे से) (स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा)

प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची तथा केंद्रवार समय-सारणी (मध्यमकालिक प्रशिक्षण)

पाठ्यक्रम का नाम	सत्र/अवधि	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व पता	प्रभारी सहायक निदेशक
हिंदी आशुलिपि मध्यमकालिक प्रशिक्षण	03/08/2015 से 31/12/2015 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से 01.00 बजे तक) प्रतिदिन 3 घंटे (5 माह)	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-6, नई दिल्ली	सुरेश चन्द्र शर्मा फोन 26175246
	उपरोक्त	रेल भवन कमरा नं. 564-जे रेल भवन, नई दिल्ली	श्री चमन सिंह फोन 23303209
	उपरोक्त	मानक भवन भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा नं. 250, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	श्री राम सकल सिंह फोन 23215045
कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/टंकण मध्यमकालिक प्रशिक्षण	प्रथम सत्र 03/08/2015 से 30/09/2015 दूसरा सत्र 02/11/2015 से 30/12/2015 (अपराह्न 2.00 बजे से 05.00 बजे तक) प्रतिदिन 3 घंटे (2 माह)	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-6, नई दिल्ली	सुरेश चन्द्र शर्मा फोन 26175246
	उपरोक्त	रेल भवन कमरा नं. 564-जे रेल भवन, नई दिल्ली	श्री चमन सिंह फोन 23303209
	उपरोक्त	मानक भवन भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा नं. 250, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	श्री राम सकल सिंह फोन 23215045


नामांकन प्रपत्र (मध्यमकालिक प्रशिक्षण)

क्र. सं.	नाम/पदनाम	दूरभाष/ ई-मेल	हिंदी में शैक्षिक योग्यता	जन्म तिथि	प्रशिक्षण		सत्रावधि	सुविधाजनक केन्द्र
					टंकण	आशुलिपि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नामित करने वाले अधिकारी का नाम.....
कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं० सहित.....
ई-मेल आई-डी

प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव को सचिव के सूचनार्थ ।
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।
3. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
4. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली ।
5. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
6. सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय ।
9. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खण्ड-7, आर०के०पुरम, नई दिल्ली ।
10. केन्द्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली ।
11. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
12. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
13. निदेशक (नीति एवं समन्वय) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
14. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
15. संपादक, राजभाषा भारती एवं राजभाषा पुष्पमाला, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
16. सचिव, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।
17. निदेशक (राजभाषा) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली ।
18. उप निदेशक (टंकण पत्राचार), केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ।
19. उप निदेशक (परीक्षा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया परीक्षा की व्यवस्था करें ।
20. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
21. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/कोलकाता/मुंबई/चैन्नै/गुवाहाटी ।
22. सहायक निदेशक (टं./आ.) हिंदी शिक्षण योजना, प्रशिक्षण केन्द्र.....
23. सहायक निदेशक (टं./आशु.), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक एवं वेबसाइट अपडेट नोडल अधिकारी, के.हि.प्र.सं. नई दिल्ली ।


(जे० एल० गुप्ता)
उप निदेशक (टं/आ)
Chti 1031